मुत्थु

बनाम

राज्य द्वारा पुलिस निरीक्षक तमिलनाडु

2 नवम्बर 2007

(ए.के.माथुर और मार्कण्डेय काटजू जे.जे.)

दण्ड संहिता 1860 धारा 300,302 तथा 304 भाग-2 का अपवाद एक एवं चार:

आपराधिक मानव वध जो कि हत्या नही है। मृतक ने अभियुक्त की दुकान में कचरा फेका, अभियुक्त ने मृतक की छाती में चाकू से वार किया. मृतक ने चोट लगने से दम तोड दिया।विचारण न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध करने का दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास के दण्ड से दंडित किया। जिसे उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट किया गया। अपील में निर्धारित मृतक द्वारा दिये गये गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण आत्मनियंत्रण की शक्ति से वंचित आरोपी ने दुकान के अंदर मौजूद मेज से चाकू उठाया था। उसे आरोपी साथ नही लेकर गया था। इस प्रकार अभियुक्त की मृतक की मृत्यु कारित करने का आशय एवं हेतुक नही था। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अंतर्गत अभियुक्त को धारा 300 अपवाद 1 एवं 4 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। इस तरह अपराध भा.द.स. की धारा 304 भाग-।। के अन्तर्गत आता है। इसलिये सजा को पांच साल के साधारण कारावास में घटाया जाता है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार उस दुर्भाग्य पुर्ण दिन को अभियुक्त।अभिलार्थी जो कि अपशिष्ट कागजो का व्यापारी था अपनी दुकान के अंदर सामान को व्यवस्थित कर

रहा था। मृतक जो कि सडक पर अपशिष्ट कागजों को एकत्र किया करता था।उसने अपशिष्ट कागजो को दुकान के अंदर फेका। यह देख कर अभियुक्त क्रोधित हो गया और म्तक पर उसके बाल खीच कर चिल्लाने लगा। इस पर मुतक ने अभियुक्त को धक्का दिया। इस पर अभियुक्त ने दुकान के अंदर रखी मेज से चाकू उठा लिया और मृतक की छाती में उसे घोप दिया।जिससे वह जमीन पर गिर पडा एवं चाकू की चोट के कारण उसने दम तोड दिया।विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को भा.द.स. की धारा 302 के अन्तर्गत दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया। उच्च न्यायालय ने दोष सिद्धी तथा दण्डादेश की पुष्टि की। इस तरह यह अपील प्रस्तुत हुई।

अपील को भागतः स्वीकार करते हुए न्यायालय ने निर्धारित किया कि:

1.1 प्रकरण भा.द.स. की धारा 300 के अपवाद 1 के अंतर्गत आता है [पैरा-5] [914-एच,915-ए]

1.2 अभियुक्त गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण आत्मनियंत्रण की शक्ति से वंचित था। जिसने उसे अपराध करने के लिये प्रेरित किया।[पैरा-6][915-सी]

1.3 यह प्रत्यक्ष था कि अभियुक्त की मृत्यु कारित करने का आशय और हेतुक नही था क्योकि चाकू उसके द्वारा पहले से नही ले जाया गया था और उसने केवल मृतक से झगडे के दौरान चाकू उठाया था। [पैरा-6] [915-सी]।

कुन्हईअप्पा केरल राज्य (2000) 10 एससीसी 307 और मसुमसाहा हसनसा मुसलमान बनाम महाराष्ट्र राज्य [2000] 3 एससीसी 557 पर भरोसा किया गया।

1.4 मत्यु कारित करने के आश्य से पुवनियोजित हमले और ऐसे पूर्वनियोजित हमले जिसमें पूर्वनियोजित हमला करने का आशय नही हो और जिसमें मृत्यु तकरार और झगडें के दौरान गर्मा-गर्मी में मृत्यु कारित करने के मध्य स्पष्ट अंतर है। [पैरा-10] [916-बी]

पुलिचेरला नागराजू बनाम आन्ध्रप्रदेश राज्य (2006) 11 एससीसी 444 संदर्भित।

1.5 निसंदेह यहा तक कि गुस्से की गर्मा गर्मी में किसी व्यक्ति द्वारा किसी पर हमला नही करना चाहिए, क्योकि मनुष्य जानवरों से भिन्न है एवं उसमें आत्म-नियंत्रण की शक्ति होती है। फिर भी क्रोध एवं गुस्से में मनुष्य कभी-कभी ऐसे कार्य कर बैठते है जो उन्हे पूर्विनियोजित योजना से नही करना चाहिये। इसलिये कानून का यह प्रावधान है कि कोई वयक्ति आवेश एवं गुस्से कोई ऐसा कार्य करता है उसे भी दंडित करना चाहिये, लेकिन उनका दण्ड उन व्यक्तियों से कम होना चाहिये जो पूर्वनियोजित योजना से अपराध करते है। इस कारण धारा 300 भा.द.स. मे अपवाद 1 व 4 जोडे गये है। [पैरा-11][916-सी-डी]

1.6 उक्त मामला भी भा.द.स. की धारा 300 के अपवाद 4 के अंतर्गत आता है क्योकि अपवाद 4 के समस्त तथ्य इस प्रकरण से एकदम मेल खाते है। [पैरा-13] [916-जी]

पप्पू बनाम मध्यप्रदेश राज्य [2006] 7 एससीसी 391 संदर्भित।

1.7 निसंदेह किसी व्यक्ति के घर या दुकान में किसी व्यक्ति द्वारा कूड़ा-कचरा फेका जाता है तो निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति को गंभीर एवं अचानक प्रकोपन होगा। प्रत्येक व्यक्ति की यह इच्छा होती है कि वह अपने परिसर को साफ-सुथरा रखे और ऐसी स्थिति में यह संभावना है कि वह अपनी आत्मनियंत्रण की स्थिति को खों दे। प्रश्नगत घटना अचानक लडाई और गर्मा-गर्मी में अचानक अपीलकर्ता के अनुचित लाभ लिये बिना कृत्य क्रूर एवं अनुचित तरीके के बिना किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी का प्रकरण भा.द.स की धारा 304 के अपवाद 01 एवं 04 के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है यह है कि यह प्रकरण भा.द.स की धारा 304 के भाग 02 के अन्तर्गत आता है। [पैरा-14] [916-एच, 917-ए-बी]

रमेश विट्ठलराव ठाकरे और अन्यण् बनाम महाराष्ट्रराज्य एआईआर (1995) एससी 1453, रूप सिंह बनाम हरियाणा राज्य एआईआर (1995) एससी 2452, माविला थाम नाम्बियार बनाम केरल राज्य एआईआर (1997) एससी 687, सुधीर सामंता बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य एआईआर (1998) एससी 289, के. रामकृष्णन उन्नीथन बनाम केरल राज्य एआईआर (1999)एससी 1428, थोलन बनाम तमिलनाडु राज्य (1984), 2 एससीसी 133, जगपति बनाम मध्य प्रदेश राज्य एआईआर (1993) एससी-1360, तरसेम सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य, एआईआर (2002) एससी 760, हरि राम बनाम राज्य हरियाणा, एआईआर (1983) एससी 185, रणधीर सिंह बनाम पंजाब राज्य, एआईआर (1982), एससी 55, कुलवंत राय बनाम पंजाब राज्य, एआईआर (1982) एससी 126 और शंकर बनाम मध्य प्रदेश राज्य, एआईआर (1979) एससी 1532, पर भरोसा किया गया।

2. प्रकरण के तथ्यों के अनुसार कृत्य इस ज्ञान के साथ किया गया था कि यह संभाव्य है कि वह किसी की मृत्यु कारित करे लेकिन ऐसा,मृत्यु कारित करने के आशय के बिना या ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाने के आाशय के बिना जिससे की मृत्यु कारित होना संभाव्य हो के किया गया है। इस तरह अपराध भा द स की धारा 304 के भाग।। के अंतर्गत आता है। इसलिये अधीनस्त न्यायालय द्वारा दिये गये दंड के स्थान पर पांच वर्ष के साधारण कारावास से दंडित किया जाता है, यदि अभियुक्त किसी अवधि तक कारावास में रहा है तो उस अवधि को पांच वर्ष के कारावास मे से समायोजित किया जावे। [पैरा 16 और 17], [917-ई-एफ)

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या-1511/2007।

उच्च न्यायालय मद्रास के आपराधिक अपील संख्या 718/1999 में पारित अंतिम निर्णय/आदेश दिनांक 20.07.2005 से।

के.के. मणि सी.के.आर. लेनिन सेकर और मयूर आर.शाह अपीलकर्ता के लिए।

वी.जी. प्रगासम एस. जोसेफ अरस्तू और एस. प्रभु रामसुब्रमण्यम रेसेपोन्डेन्ट के लिए।

न्यायालय का निर्णय मार्कंडेय काटजू जे. द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति स्वीकृत।

2. यह अपील मद्रास उच्च न्याायलय की डिवीजन बैंच द्वारा पारित दांडिक अपील संख्या 818/1999 के अंतिम निर्णय व आदेश दिनांक 20.07.2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

3. अभियोजन पक्ष का वाद इस प्रकार है कि दिनांक 04.08.1998 को सुबह करीब 08 बजे पी.डब्ल्यू.-01 राधाकृष्णन, पी.डब्ल्यू.-03-सक्तिवेल और पी.डब्ल्यू.-04 अरूमुकम चाय पीने के लिये दुकान पर गये थे चाय के दुकान की बगल की दुकान रद्दी बेचने वाले व्यापारी की थी। मुत्थु , अभियुक्त (अपीलार्थी) अपनी दुकान मे कार्य कर रहा था और दुकान खोलने के बाद अंदर रखे सामान को व्यवस्थित कर रहा था। उसी समय मृतक सिवा दुकान के बाहर सड़क पर रद्दी कागज व गत्ते के बक्से एकत्र कर रहा था, उसने अभियुक्त की दुकान के अंदर उन्हे फेका। यह देखकर अभियुक्त को गुस्सा आ गया और वह सिवा पर चिल्लाया "तुम हर रोज ये क्यो करते हो?" और उसके बाल खिचने लगा। इस पर मृतक ने अभियुक्त को धक्का दिया। तब अभियुक्त ने दुकान के अंदर रखी मेज से चाकू उठाया और सिवा की छाती में गोप दिया। चोट के कारण सिवा गिरा और मर गया।

4. विचारण नयायालय ने अपीलार्थ को भा.द.स. की धारा 302 के अन्तर्गत दोषी पाकर उसे आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया। इस दोष सिद्धी को अपील में उच्च न्यायालय ने यथावत रखा। इस प्रकार यह अपील प्रस्तुत हुई।

5. हमारी राय यह है कि यह प्रकरण भा.द.स. की धारा 300 के अपवाद के अन्तर्गतः

> अपवाद-। गैर इरादतन मानव वध कब हत्या नहीं है..आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है। यदि अपराधी उस समय जब कि वह गम्भीर और अचानक प्रकोपन से आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो। उस व्यक्ति की, जिसने कि वह प्रकोपन दिया था। मृत्युकारित करे या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित करे।

6. हम संतुष्ट है कि अभियुक्त गम्भीर और अचानक प्रकोपन से आत्म संयम की शक्ति से वंचित था जिसने उसे अपराध करने के लिये प्रेरित किया। यदि किसी व्यक्ति के घर या दुकान मे कचरा फेंका जाता है तो स्वाभावित रूप से परेशान हो जायेगा। यह प्रत्यक्ष है कि अभियुक्त का मृतक की मृत्यु कारित करने का हेतुक एवं आशय नही था क्योकि अभियुक्त पहले से चाकू लेकर नही गया था। उसने चाकू मृतक से झगड़े के दौरान उठाया था।

7. हम इस न्यायालय के निर्णय कुनिअप्पू बनाम केरल राज्य(2000) 10 एस सी सी 307 के साथ ही मसियुमसा हसनसाह मुसलमान बनाम महाराष्ट्र राज्य (2000) 3 एस. सी. सी. 557 से सहायता प्राप्त करते है।

8. यदि अभियुक्त/अपीलार्थी प्रारंभ से ही चाकू लेकर मृतक पर हमला करने के आशय से जाता तो स्थिति भिन्न होती लेकिन ऐसा प्रकरण नही है।

9. राज्य के विद्धवान अधिवक्ता निर्णय पुल्लिचेरला नागाराजू बनाम आंध्रप्रदेश राज्य (2006)11 एस. सी. सी. 444 पर भरोसा करते है। इस निर्णय के पैरा संख्या 29 में अंकित है कि क्या मृत्यु कारित करने का आशय था को विभिन्न परिस्थितियों को देखते हुए एकत्रित किया जाता है और इस पैराग्राफ में एक परिस्थिति यह अंकित है

कि क्या हथियार अभियुक्त द्वारा साथ ले जायागया था या घटना स्थल से उठाया गया था। यदि इसे प्रारंभ से ही अभियुक्त द्वारा साथ ले जाया गया था तो यह परिस्थिति दर्शित करती है कि वहा पर हत्या कारित करने का आशय था , यदि हथियार हमला करने के लिये इस प्रकार प्रयुक्त किया गया हो कि मृतक के शरीर के आवश्यक भाग पर हमला किया जाये।फिर भी जबकि हथियार प्रारंभ से ही अभियुक्त के हाथ में न हो लेकिन उसे झगडे के दौरान घटना स्थल से उठाया गया हो तब यह नही कहा जा सकता कि प्रकरण भा.दस. की धारा 302 के अंतर्गत आता हो, इसकी अपेक्षा वह केवल ऐसा प्रकरण है जो कि आपराधिक मानव वध के अंतर्गत जो कि हत्या नही है के अंतर्गत भा.द.स. की धारा 304 के अंतर्गत आता है ,भा.द.स. की धारा 302 के अंतर्गत नही।

10. उपरोक्त निर्णय में न्यायालय का यह कहना था कि न्यायालय को यह सुनिश्चित करना है कि प्रकरण भा.द.स के अंतर्गत हत्या के लिये दंडनीय है तो ऐसा अपराध भा.द.स. की धारा 304 के भाग। व।। मे परिवर्तित नही किया जा सकता, हमारी राय में यह आवश्यक नही है कि न्यायालय प्रत्येक हत्या के अपराध को भा.दस. की धारा 302 के अंतर्गत हत्या ही माने। हमारी राय में पूर्वनियोजित योजना के साथ मृत्यु कारित करने के आशय से किये गये हमले तथा ऐसे प्रकरण में जिसमें कोई पूर्वनियोजित आशय न हो और मृत्यु झगडे के दौरान गर्मा-गर्मी में पूर्वनियोजित योजना के बिना की गई हो तो दोनो में अंतर है।

11. निसंदेह यहा तक कि गुस्से की गर्मा गर्मी में किसी व्यक्ति द्वारा किसी पर हमला नही करना चाहिए, क्योकि मनुष्य जानवरों से भिन्न है एवं उसमें आत्म-नियंत्रण की शक्ति होती है। फिर भी क्रोध एवं गुस्से में मनुष्य कभी-कभी ऐसे कार्य कर बैठते है जो उन्हे पूर्विनियोजित योजना से नही करना चाहिये। इसलिये कानून का यह प्रावधान है कि कोई वयक्ति आवेश एवं गुस्से कोई ऐसा कार्य करता है उसे भी दंडित करना

चाहिये, लेकिन उनका दण्ड उन व्यक्तियों से कम होना चाहिये जो पूर्वनियोजित योजना से अपराध करते है। इस कारण धारा 300 भा.द.स. मे अपवाद 1 व 4 जोडे गये है।

12. हम भा.द.स. की धारा 300 के अपवाद 4 का संदर्भ देना उचित समझते है।

> "अपवाद 4- आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि वह मानव वध अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में पूर्वचिन्तन बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से कार्य किए बिना किया गया हो।"

13. भा.द.स. की धारा 01 एवं 04 में अंतर पप्पू बनाम मध्यप्रदेश राज्य (2006) *7* एस.सी.सी. 391, मे स्पष्ट किया गया है। हमारी राय में यह प्रकरण भा.द.स. की धारा 300 के अपवाद 04 के अतर्गत भी आता है क्योकि अपवाद 04 के सभी तत्व इस प्रकरण पर लागू होते है।

14. हमारी राय में किसी व्यक्ति के घर या दुकान में किसी व्यक्ति द्वारा कूड़ा-कचरा फेका जाता है तो निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति को गंभीर एवं अचानक प्रकोपन होगा। प्रत्येक व्यक्ति की यह इच्छा होती है कि वह अपने परिसर को साफ-सुथरा रखे और ऐसी स्थिति में यह संभावना है कि वह अपनी आत्मनियंत्रण की स्थिति को खों दे। प्रश्नगत घटना अचानक लडाई और गर्मा-गर्मी में अचानक अपीलकर्ता के अनुचित लाभ लिये बिना कृत्य क्रूर एवं अनुचित तरीके के बिना किया गया है।

15. अगला प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या प्रकरण भा.द.स. की धारा 304 के भाग प्रथम में आता है या भाग द्वितीय में। हमारी राय में यह भाग 02 के अंतर्गत आता है इसके संदर्भ में इस न्यायालय के निर्णय रमेश विट्ठलराव ठाकरे और अन्यण् बनाम महाराष्ट्रराज्य एआईआर (1995) एससी 1453, रूप सिंह बनाम हरियाणा राज्य एआईआर (1995) एससी 2452, माविला थाम नाम्बियार बनाम केरल राज्य एआईआर

(1997) एससी 687, सुधीर सामंता बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य एआईआर (1998) एससी 289, के. रामकृष्णन उन्नीथन बनाम केरल राज्य एआईआर (1999) एससी 1428, थोलन बनाम तमिलनाडु राज्य (1984), 2 एससीसी 133, जगपति बनाम मध्य प्रदेश राज्य एआईआर (1993) एससी-1360, तरसेम सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य, एआईआर (2002) एससी 760, हरि राम बनाम राज्य हरियाणा, एआईआर (1983) एससी 185, रणधीर सिंह बनाम पंजाब राज्य, एआईआर (1982), एससी 55, कुलवंत राय बनाम पंजाब राज्य, एआईआर (1982) एससी 126 और शंकर बनाम मध्य प्रदेश राज्य, एआईआर (1979) एससी 1532, पर भरोसा किया गया।

16. हमारी राय में प्रकरण के तथ्यों परके अनुसार कृत्य इस ज्ञान के साथ किया गया था कि यह संभाव्य है कि वह किसी की मृत्यु कारित करे लेकिन ऐसा, मृत्यु कारित करने के आशय के बिना या ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाने के आाशय के बिना जिससे की मृत्यु कारित होना संभाव्य हो के किया गया है। इस तरह अपराध भा द स की धारा 304 के भाग।। के अंतर्गत आता है।

17. इसलिए उपरोक्त कारणों से अधीनस्त न्यायालय द्वारा दिये गये दंड के स्थान पर पांच वर्ष के साधारण कारावास से दंडित किया जाता है, यदि अभियुक्त किसी अवधि तक कारावास में रहा है तो उस अवधि को पांच वर्ष के कारावास मे से समायोजित किया जावे। इस प्रकार अधीनस्त न्यायालय का निर्णय उपरोक्तानुसार संशोधित किया जाता है और अपील का निस्तारण किया जाता है।

18. यदि अभियुक्त जमानत पर है तो उसकी जमानत बंदपत्र निरस्त समझी जावे। अभियुक्त इस प्रकार शेष कारावास को भुगतने के लिये न्यायालय में आत्मसमर्पण करेगा।

अपील आंशिक रूप से स्वीकृत।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुशील कुमार शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।